



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-29112025-268065
CG-TN-E-29112025-268065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2025/अग्राहायण 4, 1947
No. 768] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2025/AGRAHAYANA 4, 1947

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 14 नवम्बर, 2025

सं. IMU/HQ/ADM/Notification/2025/03.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22) की धारा 47(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचना सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है :

#	अध्यादेश/अधिसूचना	विवरण	कार्यकारी परिषद् संकल्प
1.	2018 का अध्यादेश 28	लीन (Lien) एवं आवेदन अग्रसारण	[EC-2018-47-08 दिनांक 23.10.2018 में पारित, EC-2025-85-20 दिनांक 21.07.2025 द्वारा संशोधित]

“2. आवेदन अग्रसारण संबंधी दिशानिर्देश:

क. जो संकाय/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर भा.स.वि. में कार्यरत हैं, उनके आवेदन अग्रसारित नहीं किए जाएंगे तथा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान नहीं किया जाएगा।

ख. भा.स.वि. के अशैक्षणिक कर्मचारियों के बाह्य रोजगार हेतु आवेदन तभी विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे जब उन्होंने भा.स.वि. में पाँच (05) वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा ऐसे आवेदनों की संख्या एक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक श्रेणी (समूह A/B/C अथवा समकक्ष) के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के अधिकतम 10% तक सीमित होगी।

ग. संकाय सदस्यों के बाह्य रोजगार हेतु आवेदन तभी विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे जब उन्होंने भा.स.वि. में सात (07) वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।

घ. कर्मचारियों द्वारा बाह्य रोजगार के लिए विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथापि, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) केवल प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।

ङ. किसी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम चार (04) NOC ही प्रदान किए जाएंगे।

च. यह नियम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एवं राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC's) द्वारा विज्ञापित पदों पर लागू नहीं होगा।”

टिप्पणी:

1. इस दस्तावेज़ के अंग्रेज़ी एवं हिंदी संस्करण में किसी प्रकार का अंतर होने की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।
2. वर्तमान अध्यादेश 28 का 2018 (पैरा 2) का पाठ उपर्युक्त के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

के. सरवणन, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./504 /2025-26]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 14th November, 2025

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2025/03.—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notification is published for general information:

#	Ordinance/Notification	Description	Executive Council Resolution
1.	Ordinance 28 of 2018	Lien and Forwarding of Applications	[EC-2018-47-08 dated 23.10.2018 Amended Vide EC-2025-85-20 dated: 21.07.2025]

“2. Guidelines for forwarding of Applications:

- a. IMU shall not provide NOC or forward applications of Faculty/Staff who have joined IMU on deputation basis.
- b. IMU shall consider the outside employment applications of non-teaching employees, only to those who have completed five (05) years of regular service in IMU and subject to the ceiling of 10% of each category (Group A/B/C) or equivalent) of employees on sanctioned strength of non-teaching in a calendar year.
- c. IMU shall consider the outside employment applications of faculty, only to those who have completed seven (07) years of regular service in IMU.
- d. It is mandatory to obtain prior permission from the University for Outside Employment by the employees. However, NOC will be issued only on production of Hall Ticket/Interview Letter.
- e. Only four (04) NOC's per employee will be permitted in a calendar year.
- f. This rule will not apply for posts advertised by UPSC and SPSC's.”

Note:

1. In case of any discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.
2. The text of existing Ordinance 28 of 2018 (Para 2) shall be replaced as above.

K. SARAVANAN, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./504 /2025-26]